राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4103/2024

श्रीमती विजय लक्ष्मी ओझा पत्नी स्वर्गीय श्री लक्ष्मीनारायण ओझा, आयु लगभग 64 वर्ष, निवासी बारह गार्ड चौक, नथानियों की सराय के बाहर, बीकानेर जिला बीकानेर। ----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. निदेशक, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।

3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।

4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री मनोज बोहरा

प्रतिवादी के लिए:

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश (मौखिक)</u>

1. याचिकाकर्ता की शिकायत दिनांक 18.01.2024 (अनुलग्नक 4) के आदेश के विरुद्ध है, जिसके तहत उसके विरुद्ध 6,41,282/- रुपए की वसूली की कार्यवाही की गई थी तथा प्रतिवादियों को उसकी सेवा समाप्ति के पश्चात पेंशन का वास्तविक लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। 2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को प्रारंभ में रोजगार कार्यालय के माध्यम से मलेरिया निगरानी कार्यकर्ता/टीकाकरणकर्ता के पद पर नियुक्त किया गया था तथा उसे एमपीडब्ल्यू के रूप में पुनः नामित किया गया था। 2.1 याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी विभाग में अपने संपूर्ण कार्यकाल के दौरान संतोषजनक ढंग से अपनी सेवाएं प्रदान की। वह एमपीडब्ल्यू के पद से 30.11.2015 को सेवानिवृत्त हुआ।

2.2 प्रतिवादी विभाग ने याचिकाकर्ता को चयन वेतनमान प्रदान नहीं किया। इसलिए, याचिकाकर्ता ने एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12093/2022 दायर की और उक्त रिट याचिका का निपटारा दिनांक 20.09.2022 (अनुलग्नक-2) के आदेश द्वारा किया गया, जिसमें प्रतिवादी को निर्देश दिया गया कि वह दादामदास वैष्णव बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8309/2012) में 20.5.2013 को दिए गए निर्णय के अनुसार याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर निर्णय ले। प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विचार किया और उसे चयन ग्रेड का लाभ देते हुए दिनांक 05.12.2022 (अनुलग्नक-3) का आदेश पारित किया।

2.3 हालांकि, अचानक से, उसकी सेवानिवृत्ति के दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद, प्रतिवादियों ने लेखापरीक्षा आपत्ति के आधार पर दिनांक 18.1.2024 (अनुलग्नक-4) का वसूली आदेश जारी किया है। याचिकाकर्ता को

न तो सुनवाई का कोई अवसर दिया गया और न ही कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसलिए यह याचिका।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंद्वी तर्क सुने हैं।

4. यहाँ एक छोटा सा विवाद उभर कर आता है - क्या याचिकाकर्ता का मामला पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम रफीक मसीह (व्हाइट वॉशर) एवं अन्य: (2015) 4 एससीसी 334 में निर्धारित अनुपात के अंतर्गत आता है?

5. उत्तर सकारात्मक है। आइए देखें कि कैसे।

6. उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैरा-18 में उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिनके तहत वसूली की जा सकती है, नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> "18. उन सभी कठिनाई की स्थितियों की कल्पना करना संभव नहीं है जो वसूली के मुद्दे पर कर्मचारियों को नियंत्रित करेंगी, जहाँ नियोक्ता द्वारा गलती से उनके हक से अधिक भुगतान किया गया हो। जैसा भी हो, यहाँ उल्लिखित निर्णयों के आधार पर, हम एक तैयार संदर्भ के रूप में, निम्नलिखित कुछ स्थितियों का सारांश दे सकते हैं, जिनमें नियोक्ता द्वारा वसूली कानून में अनुमेय नहीं होगी:
>
> (i) तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी सेवा (या समूह सी और समूह डी सेवा) से संबंधित कर्मचारियों से वसूली।
>
> (ii) सेवानिवृत्त कर्मचारियों, या उन कर्मचारियों से वसूली जो वसूली के आदेश के एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
> (iii) कर्मचारियों से वसूली, जब वसूली का आदेश जारी होने से पहले पाँच वर्षों से अधिक की अवधि के लिए अतिरिक्त भुगतान किया गया हो।

(iv) ऐसे मामलों में वसूली जहाँ किसी कर्मचारी को गलत तरीके से उच्च पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने की आवश्यकता होती है, और उसे तदनुसार भुगतान किया जाता है, भले ही उसे सही तरीके से निम्न पद के विरुद्ध काम करने की आवश्यकता होती।

(v) किसी अन्य मामले में, जहां न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यदि कर्मचारी से वसूली की जाती है, तो वह इस सीमा तक अन्यायपूर्ण या कठोर या मनमानी होगी, जो नियोक्ता के वसूली के अधिकार के न्यायसंगत संतुलन से कहीं अधिक होगी। (जोर दिया गया)

7. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त सिद्धांतों के साथ आरोपित आदेश का अवलोकन करने पर इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि याचिकाकर्ता का मामला रफीक मसीह में दिए गए निर्णय के अंतर्गत आता है।

8. उत्तर में या अन्यथा इस बात का खंडन नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता को गलत तरीके से दिया गया लाभ नौ वर्षों तक चला। ऐसा होने पर, यह अवधि स्पष्ट रूप से 5 वर्ष से अधिक है, जैसा कि उक्त निर्णय के पैरा-18 उप-खंड (ii) और (iii) में उल्लेख किया गया है और रफीक मसीह (सुप्रा) में निर्धारित अनुपात के अनुसार, आरोपित आदेश संधारणीय नहीं है।

9. तदनुसार, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। आरोपित आदेश दिनांक 18.01.2024 (अनुलग्नक 4) को आगामी परिणामों के साथ रद्द किया जाता है।

10. लंबित आवेदन(आवेदन), यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा), जे

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।